एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या-4347/2006

दिनेश कुमार गांधी बनाम यूनिवर्सिटी ऑफ राज. व अन्य

दिनांक-01.10.2007

माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक

श्री विनोद गोयल , अधिवक्ता- याची की ओर।
श्रीमती अनुपमा चतुर्वेदी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या-1 की ओर से
श्री आर एम जैन, अधिवक्ता वास्ते
श्री ए के भार्गव, अधिवक्ता- विपक्षी संख्या-2 की ओर से

--

याचिकाकर्ता दिनेश कुमार ने यह रिट याचिका अयाचीगण के विरूद्ध इस आशय का समादेश जारी करने हेतु प्रस्तुत की है कि वे अयाची संख्या-2 के इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा जारी किये गये परीक्षा प्रपत्र जिसके बाबत उसने परीक्षा शुल्क 04 अप्रेल,06 को ही जमा करा दिया था,को स्वीकार करते हुए उसे द्वितीय वर्ष के चोथे सेमेस्टर(थ्योरी) की परीक्षा जो कि 29 मई, 06 को प्रायोजित की जा रही है में अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की है।

इस न्यायालय के द्वारा अयाचीगण को 26 मई, 2006 को नोटिस जारी करते समय निर्देशित किया गया था कि वे याची को उक्त परीक्षा में अस्थाई तौर पर बैठने की अनुमति देंगे परन्तु परीक्षा परिणाम इस रिट याचिका के निर्णय अध्यधीन रहेगा।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि परीक्षा शुल्क यघपि उसने 04 अप्रेल,06 को ही जमा करवा दिया था परन्तु याचिकाकर्ता 12 अप्रेल,06 को अपने घर से महाविधालय आते समय स्कूटर से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था एवं उसके गंभीर चोटें आयी जिसके परिणाम स्वरूप उसे लम्बे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। परीक्षा शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि 15 अप्रेल,06 थी तथा विलम्ब शुल्क से 20 अप्रेल,06 तक जमा करवाया जा सकता था एवं दुगने शुल्क से 25 अप्रेल,06 तक जमा करवा सकता था। याचिकाकर्ता जब चलने फिरने की स्थिति में आया तो उसने परीक्षा फीस 30 अप्रेल,06 को जमा करवा दी ।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद गोयल ने अचायी संख्या-2 इंजीनियरिंग कॉलेज, कोटा के प्राचार्य व डीन द्वारा 20 मई, 06 एवं 21

मई,06 को भेजे गये पत्र की ओर आकृष्ट करते हुए यह कथन किया कि महाविधालय प्रशासन द्वारा याचिकाकर्ता का परीक्षा फार्म तिगुनी परीक्षा शुल्क के साथ स्वीकार करने की अनुसंशा की गयी थी।

अचायी संख्या-1 के विद्वान अधिवक्ता श्रीमती अनुपमा चतुर्वेदी का कथन है कि परीक्षा फार्म प्रपत्र दिनांक 25 अप्रेल,06 तक ही मय दुगनी शुल्क के साथ स्वीकार किये जा सकता था उसके पश्चात तिगुनी परीक्षा शुल्क के साथ उसे स्वीकार किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में, मैं यह पाता हूं कि न्यायालय द्वारा अयाचीगण को नोटिस जारी करते समय याचिकाकर्ता को अस्थाई रूप से परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की गयी थी तथा याचिकाकर्ता को तत्पश्चात ने सिर्फ उक्त परीक्षा में सम्मिलित करवाया गया वरन् उसके बाद उसे पांचवे व छठे सेमस्टर में नियमित रूप से अध्ययन भी करने दिया गया।

ऐसी परिस्थितियों में अयाचीगण को यह निर्देश दिया जाना उचित समझता हूं कि वे याचिकाकर्ता के परीक्षा प्रपत्र को तिगुनी फीस के साथ प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों में स्वीकृत करें तथा उसने जो परीक्षा इस न्यायालय के द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 26 मई, 2006 की अनुपालना में दी है, उसका परिणाम घोषित करते हुए उसके पश्चात उसे नियमानुसार भविष्य में प्रायोजित होने वाली परीक्षा में बैठने की अनुमति देवें।

तदनुसार इस याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्या0 मोहम्मद रफीक)